

# आयालय तहसीलदार / नायब तहसीलदार, चौहटन

सरकारी जरिये पटवारी हल्का

केलनोर

बनाम

विप्राधी श्री

हासन

यल्ल

सरीफ

जाति

मु

निवासी

राशनकारी

राजस्व मुकदमा नं. 19/2024 /20 निर्णय दिनांक

30/9/24

अन्तर्गत धारा 91 भू-राजस्व अधिनियम 1956

## आदेश

यह मामला पटवारी हल्का केलनोर की रिपोर्ट पर दर्ज रजिस्टर किया गया।

जिसके अनुसार अप्राधी ने सरकारी भूमि मौजा राशनकारी के ख. नं. 242/107 में रकबा

11-46

बीघा किस्म

च 20

पर संवत

2021

खरीफ में कास्त कब्जा पर अतिक्रमण किया है।

अप्राधी को राज. भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस दिया गया। जो अप्राधी से तामिल हो

चुका हैं अप्राधी उपस्थित/अनुपस्थित।

अप्राधी ने उक्त विवाद आराजी पर अपना अतिक्रमण कर कब्जा कास्त करना स्वीकार किया/बावजूद नोटिस तामिल के अप्राधी अनुपस्थित रहा। अतः उसके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। अतः अप्राधी को विवादाग्रस्त भूमि पर अतिक्रमी मानते हुए बेदखल किये जाने के आदेश दिये जाते हैं एवं उक्त आराजी की फसल को जब्त सरकार किया जाकर अप्राधी पर बतौर लगान / शास्ति के भूमि के वार्षिक लगान रूपये 0.59 का 50 गुणा रूपये 30 अक्षरे आरोपित किये जाते हैं।

भू.अ. निरीक्षक हल्का

महल की गांव

को आदेश दिये जाते कि वह उक्त भूमि से अतिक्रमी को बेदखल कर / मौके पर खड़ी फसल को नीलाम कर फर्द नीलामी स्वीकृत हेतु प्रस्तुत करे। पालना रिपोर्ट 3 दिन में पेश करें। जुर्माना / फसल नीलामी की वसूली हेतु पटवारी हल्का एवं तहसील राजस्व लेखाकार सूचित हो।

सरे आम लिख कर सुनाया गया।

पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। आदेश आज दिनांक

30/9/24

को

तहसीलदार चौहटन